3/8/21	...अभी में ... नहीं कर रहे हैं। आदेश ... आदेशानुसार ... दिनांक 10/8/21 ... 2
10/8/21	पत्रावली पेश हुई। कमीशन प्रार्थी उप०। अनापत्ति 6 व 7 की ओर जवाब जमा पेश किया जो शामिल पत्रावली रहे। पत्रावली मे आपत्ति 6 8 व 9 का जवाब पेश किया जाता है। पत्रावली वास्ते अन्तिम बहस हेतु दि 17/8/21 को पेश हो।
17/8/21	पत्रावली पेश हुई। वकीलान फरिकैन उप०। आवेदक ने बहस के दौरान आवेदन पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये अपने खेत ख० न० 581 मे आने जाने के लिए खेत ख०न० 580 मे से गुजरने वाली सड़क से 12 फीट चौड़े रास्ते की मॉग की। वकील अनावेदकगण ने जवाब आवेदन पत्र मे दर्ज तथ्यो को दोहराते हुये दौराने बहस अर्ज किया कि आवेदिका के वैकल्पिक रास्ता लगता है। आवेदिका ने गलत आवेदन पत्र

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पेश किया है। जिसको अस्वीकार किया जाकर खारीज फरमाया जाने का निवेदन करते हुए हर्जा खर्चा की मांग की।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। आवेदन पत्र व जवाब आवेदन पत्र मे दर्ज तथ्यो का मनन किया। तहसीलदार-मलसीसर कि रिपोर्ट जो भू०अ०नि० द्वारा तैयार कि गई है का अवलोकन किया गया। तहसीलदार की रिपोर्ट आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा से मेल नही खाती है। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट व रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नक्शा मौका में दो वैकल्पिक रास्ता होना दर्ज किया है तथा एक अन्य चाहा गया रास्ता दर्ज किया है तथा मौका रिपोर्ट मे दर्ज किया गया है कि प्रार्थिया द्वारा ख०न० 580 की पश्चिमी भुजा के समानान्तर रास्ता चाहा गया है जब की उक्त ख०न० 580 की पश्चिमी भुजा के समानान्तर ख०न० 582 मे से होकर जाने वाला रास्ता मौके पर मौजूद है जिसका उपयोग उपयोग प्रार्थिया व अन्य लोग कर रहे है जो इस प्रकार से जवाब आवेदन पत्र मे जो तथ्य दर्ज किये गये है वह रिपोर्ट से मेल खाते है जब आवेदिका के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तो कानुनन आवेदिका को अन्य रास्ता की मांग का औचित्य नही है। आवेदिका के जो वैकल्पिक रास्ता लगता है वह भी आवेदिका व अनावेदक के चाचा ताऊ का ही खेत है तथा उक्त रास्ता मौके पर चालु है व सुगमता पूर्वक आवागमन के लिए उपलब्ध है ऐसी स्थिति मे मेरे विनम्रता पूर्वक मत के अनुसार आवेदिका को एक और अन्य रास्ता का कोई औचित्य नही होता है

आदेश

अतः न्यायालय के विनम्र मत से यह आवेदन पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

आज यह आदेश लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर) 17/8/21

(सान्वुराम जाट)

उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

मलसीसर